माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 17 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/6254

1— श्री पार्थ कंस्ट्रक्शंस प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्ट, मनोज पिता श्री बालकृष्णजी बंसल
रजिस्टर्ड ऑफिस – एस–5, शिवम परिसर, हरिफाटक
रिंग रोड़, नानाखेड़ा उज्जैन

2— मेसर्स पदमावती डेवलपर्स
द्वारा भागीदार – गौरव गर्ग पिता श्री अशोककुमार
गर्ग, निवासी 67/5, आगर रोड़, उज्जैन

.....................प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— केसरसिंह पिता श्री गोपालजी मीणा
निवासी 86/2, काजीपुरा, अंकपात मार्ग, उज्जैन

................प्रतिप्रार्थी

2— हीरालाल पिता श्री भागीरथजी देसवाली
निवासी काजीपुरा उज्जैन

3— सत्यनारायण पिता श्री हीरालालजी देसवाली
कमल पिता श्री हीरालालजी देसवाली
निवासीगण छोटी पीपल की गली, काजीपुरा, अंकपात
मार्ग, उज्जैन ......फार्मल प्रतिप्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 21.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3.1.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-12
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विषय — न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 440/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21–04–2017, जिसके द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23–05–2014 को स्थिर रखा गया है, के विरूद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी

21/12/17

3.1.18

भूमिका

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

1:– यह कि, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 ने वास्तविक स्थिति छुपाकर असत्य आधारों पर एक शिकायत व सूचना–पत्र अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. कलेक्टर महोदय, उज्जैन को जन–सुनवाई में दिनांक 12–01–2012 को प्रेषित किया, जिसमें व्यवहार न्यायालय के समक्ष लंबित रहे न्यायालयीन प्रकरण में पारित निर्णय व जयपत्र जो माननीय उच्च न्यायालय तक स्थिर रहे, को छुपाया । शिकायती जांच के लिये कलेक्टर महोदय उज्जैन ने अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन को प्रकरण प्रेषित कर आदेशित किया व अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन में

(7)

श्री पार्थ कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड आदि विरूद्ध केसरसिंह आदि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निग0/उज्जैन/भू.रा./2017/6254

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 440/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21-4-2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपर आयुक्त द्वारा उक्त अपील प्रकरण में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21-4-17 के विरूद्ध सत्यनारायण पिता श्री हीरालाल जी देसवाली एवं कमल पिता श्री हीरालाल जी देसवाली द्वारा इस न्यायालय में एक अन्य निगरानी क्रमांक 1304-पीबीआर/17 पेश की गई है । जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19-12-18 द्वारा करते हुए अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर उज्जैन एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करते हुए निगरानी को स्वीकार किया गया है तथा तहसीलदार को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4-1-13 के पूर्व की स्थिति में प्रश्नाधीन भूमियों पर जिन व्यक्तियों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था उसे पुन: दर्ज किये जाने और राजस्व अभिलेख तद्नुसार संशोधित किये जाने के आदेश दिये गये हैं । चूंकि इस प्रकरण के तथ्य एवं उक्त निगरानी प्रकरण 1304-पीबीआर/17 के तथ्य, विवादित भूमि तथा पक्षकारगण एक होने के कारण उक्त निगरानी प्रकरण 1304-पीबीआर/17 में पारित आदेश दिनांक 19-12-18 इस प्रकरण में भी लागू होगा । अत: यह निगरानी स्वीकार करते हुए तहसीलदार, उज्जैन को निर्देश दिए जाते हैं कि कस्बा उज्जैन स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 1484 रकबा 0.209 हैक्टर पर आवेदक का नाम पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें । 3/ पक्षकार सूचित हों । (एम0 गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	